भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2478

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

"निर्यातकों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जीएसटी रिफंड में विलंब"

2478. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान 60 दिन तथा 90 दिन से अधिक अवधि से लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड दावों की संख्या तथा राशि का आंध्र प्रदेश सहित क्षेत्र-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश, विशेषकर विशाखापत्तनम आयुक्तालय के अंतर्गत समुद्री खाद्य, औषधि तथा अभियांत्रिकी क्षेत्र के निर्यातकों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) रिफंड में विलंब के कारण देय सांविधिक ब्याज तथा वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज का ब्यौरा सहित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त ब्याज का भुगतान नहीं किया गया;

(घ) ब्याज के भुगतान और प्रक्रियागत त्रुटियों अथवा विभागीय सत्यापन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का स्वतः ब्याज भुगतान, जोखिम-आधारित अंतरिम वापसी तथा दावों की अवधि, उनके निपटान में लगे समय एवं अस्वीकृति के कारणों को दर्शाने वाले सार्वजनिक डैशबोर्ड की व्यवस्था शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख):

(i) केंद्रीय कर कार्यालयों के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को करदाताओं द्वारा दायर किए गए जीएसटी के तहत लंबित रिफंड दावों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक)	60 दिनों से अधिक लेकिन 90 दिन तक लंबित (31 मार्च की स्थिति अनुसार)		90 दिनों से अधिक लंबित (31 मार्च की स्थिति अनुसार)	
	दावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	दावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
2023-24	907	274.24	1592	695.84
2024-25	374	246.10	712	559.50
2025-26	64	163.60	110	64.10

इसका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ii) विशाखापत्तनम सीजीएसटी आयुक्तालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान 60 और 90 दिनों से अधिक समय से कोई भी रिफंड दावा लंबित नहीं है।

(ग): संपूर्ण भारत में विलंबित रिफंड पर भुगतान किया गया ब्याज नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
2023-24	0.23	0.06	0.06	0.34	0.69
2024-25	0.36	0.55	0.64	0.00	1.56
2025-26	1.72	6.46	6.17	0.00	14.35
कुल	**2.32**	**6.87**	**7.06**	**0.34**	**16.60**

(घ) रिफंड के दावों के प्रक्रियान्वयन में देरी मुख्य रूप से दस्तावेजों के देर से जमा कराने और करदाताओं द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के जवाब में उत्तरों के देर से दिए जाने और करदाताओं द्वारा उनके रिफंड के दावों के संबंध में कारण बताओ नोटिस, यदि कोई हो, के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेजों और विवरण जमा करने के लिए समय मांगने के लिए रिफंड के दावे को लंबित रखने के लिए किए गए अनुरोधों, और सीमित संख्या में प्रणाली से संबंधित मुद्दे वाले मामलों के कारण हुई है।

(ङ):

(i) आईजीएसटी के भुगतान पर किए गए माल के निर्यात पर रिफंड, सी.बी.आई.सी. के **आइसगेट** प्रणाली के साथ जीएसटी पोर्टल को जोड़ने के माध्यम से मैनुअल हस्तक्षेप के बिना सीमा शुल्क प्रणाली के माध्यम से पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मोड में संसाधित किए जाते हैं।

(ii) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रणाली द्वारा डेटा विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, शून्य-दर वाली आपूर्ति के लिए रिफंड दावे के 90% के अनंतिम रिफंड की मंजूरी, रिफंड आवेदन की पावती के 7 दिनों के भीतर दी जा रही है।

(iii) जीसीएसटी अधिनियम, 2017 में वित्त अधिनियम, 2026 के द्वारा संशोधन किया गया है ताकि शून्य दर वाली आपूर्ति के लिए दिए गए प्रावधानों के समान ही, विपरीत शुल्क (इनवर्टेड ड्यूटी) ढांचे के कारण संचित इनपुट कर क्रेडिट के रिफंड के मामले में दावा की गई राशि के 90% की अनंतिम वापसी प्रदान की जा सके।

(iv) पंजीकृत करदाताओं को हर स्तर पर कॉमन पोर्टल पर अपने रिफंड आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की गई है। रिफंड दावों को अस्वीकार करने के आधार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत एक स्पष्ट आदेश में संसूचित किया जाता है।

(v) जीएसटी परिषद द्वारा स्वचालित ब्याज भुगतान शुरू करने और व्यक्तिगत रिफंड दावों के बारे में जानकारी के लिए पब्लिक डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है।

अनुलग्नक-I

केंद्रीय कर कार्यालय: रिफंड आवेदन की संख्या और 60 से 90 दिनों के बीच लंबित रिफंड दावों वाली राशि							
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	राज्य का नाम	2023-24 (31 मार्च 2024 तक)		2024-25 (31 मार्च 2025 तक)		2025-26 (31 मार्च 2026 तक)	
		रिफंड के दावों की संख्या	रिफंड दावा राशि (करोड़ रुपये में)	रिफंड के दावों की संख्या	रिफंड दावा राशि (करोड़ रुपये में)	रिफंड के दावों की संख्या	रिफंड दावा राशि (करोड़ रुपये में)
1	जम्मू और कश्मीर	6	0.34	7	0.65	1	0.01
2	हिमाचल प्रदेश	5	0.08	13	4.05		-
3	पंजाब	29	2.60	60	7.93	8	0.56
4	चंडीगढ़		-	1	3.28		-
5	उत्तराखंड	31	6.28	6	5.28		-
6	हरियाणा	54	22.50	35	93.61	6	3.21
7	दिल्ली	97	10.49	48	3.91	4	0.15
8	राजस्थान	11	0.48	2	4.13		-
9	उत्तर प्रदेश	126	52.44	34	10.47	27	154.11
10	बिहार	4	0.20		-		-
11	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
12	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
13	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
14	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
15	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
16	त्रिपुरा	2	0.00	1	0.00		-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	असम	-	-	2	0.01	-	-
19	पश्चिम बंगाल	16	3.06	10	0.45	6	0.05
20	झारखंड	2	0.01	-	-	-	-
21	ओडिशा	11	0.05	2	0.19	-	-
22	छत्तीसगढ़	9	0.27	1	0.01	-	-
23	मध्य प्रदेश	3	0.44	1	0.25	-	-
24	गुजरात	300	33.97	53	1.91	-	-
25	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	-	1	0.05	-	-
26	महाराष्ट्र	125	24.29	56	79.43	6	1.13
27	कर्नाटक	27	45.15	12	16.15	-	-
28	गोवा	-	-	-	-	-	-
29	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-

30	केरल	3	0.35	2	1.79		-
31	तमिलनाडु	25	3.23	24	12.52	5	3.08
32	पुडुचेरी	2	6.35	-	-	-	-
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
34	तेलंगाना	9	28.20	2	0.06		-
35	आंध्र प्रदेश	6	27.20	1	0.00	1	1.31
36	लद्दाख	3	4.96	-	-	-	-
37	अन्य क्षेत्र	1	1.30	-	-	-	-
कुल		**907**	**274.24**	**374**	**246.10**	**64**	**163.60**

केंद्रीय कर कार्यालय: रिफंड आवेदन की संख्या और 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रिफंड दावों वाली राशि							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य का नाम	2023-24 (31 मार्च 2024 तक)		2024-25 (31 मार्च 2025 तक)		2025-26 (31 मार्च 2026 तक)	
		रिफंड के दावों की संख्या	रिफंड दावा राशि (करोड़ रुपये में)	रिफंड के दावों की संख्या	रिफंड दावा राशि (करोड़ रुपये में)	रिफंड के दावों की संख्या	रिफंड दावा राशि (करोड़ रुपये में)
1	जम्मू और कश्मीर	46	3.31	29	1.27	11	0.64
2	हिमाचल प्रदेश	1	0.02	3	5.35	1	0.02
3	पंजाब	15	6.58	47	6.84	4	0.48
4	चंडीगढ़	4	0.10	3	0.56	-	-
5	उत्तराखंड	185	11.42	4	0.10	-	-
6	हरियाणा	43	3.50	33	88.46	12	4.21
7	दिल्ली	196	52.31	104	36.60	15	8.56
8	राजस्थान	10	8.68	2	22.00	1	0.00
9	उत्तर प्रदेश	267	139.84	60	16.45	15	1.53
10	बिहार	5	0.11	6	0.06	-	-
11	सिक्किम	1	0.00	-	-	-	-
12	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	0.00	-	-
13	नागालैंड	2	0.03	-	-	-	-
14	मणिपुर	-	-	-		-	
15	मिजोरम	7	0.01	-	-	-	-
16	त्रिपुरा	-	-	8	0.23	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	असम	5	0.02	9	0.59	-	-
19	पश्चिम बंगाल	56	4.03	33	0.67	6	0.59
20	झारखंड	5	0.02	2	0.00	-	-
21	ओडिशा	23	0.31	29	2.48	-	-
22	छत्तीसगढ़	15	0.13	-	-	-	-
23	मध्य प्रदेश	18	1.19	2	0.01	1	0.01
24	गुजरात	164	39.12	39	4.86	6	1.72
25	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	14	1.51	5	0.05	-	-
26	महाराष्ट्र	265	96.05	107	37.61	13	12.50
27	कर्नाटक	55	29.11	18	24.29	4	1.47
28	गोवा	8	3.22	7	0.28	-	-
29	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
30	केरल	30	0.22	21	0.06	-	-
31	तमिलनाडु	44	37.86	34	38.27	-	-

32	पुडुचेरी	1	-	-	-	-	-
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14	0.05	14	0.05	-	-
34	तेलंगाना	20	0.64	9	1.18	1	0.01
35	आंध्र प्रदेश	70	254.56	77	269.86	20	32.37
36	लद्दाख	3	1.89	6	1.29	-	-
37	अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
कुल		**1592**	**695.84**	**712**	**559.50**	**110**	**64.10**